

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक:- एफ.8(2)(8)/निर्वा./2013/8574

जयपुर, दिनांक 13-11-2013

प्रेषक:- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित:- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय:- विधानसभा आम चुनाव, 2013- अधिग्रहित निजी वाहनों के किराया भुगतान की दरों में संशोधन एवं चालकों को रात्रि विश्राम भत्ता देने के संबंध में आदेश।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 4078 दिनांक 26.08.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग की आई.डी.संख्या-101304929/वित्त दिनांक 13.11.2013 के अनुसरण में विधानसभा आम चुनाव, 2013 के लिए अधिग्रहित निजी वाहनों के किराया भुगतान एवं चालकों को रात्रि विश्राम भत्ता देने के संबंध में पूर्व में जारी किये गए आदेश क्रमांक 4078 दिनांक 26.08.2013 के पार्ट I में वर्णित सारणी में निम्न वाहनों की दरों में संशोधन किया जाता है:-

S. No.	Type of Vehicle	Rate per Day (Rs.)
1	Contract Carriage Buses	2275.00
2	Stage Carriage Buses	1675.00
3	Contract Carriage Mini Buse (New)	1300.00
4	Stage Carriage Mini Buses	1000.00
5	Taxi (Innova, Dezire, Etios, Indigo etc.)	1000.00
6	Taxi (Indica, Jeep, Ambessador etc.)	800.00

साथ ही जो भी अधिग्रहित किये गये निजी वाहन जिले से बाहर भेजे जायेंगे तो जीप, कार, टैक्सी के वाहन चालकों को रुपये 150/- रात्रि विश्राम भत्ता एवं ट्रक, मिनी ट्रक, बस एवं मिनी बस आदि के वाहन चालकों एवं खलासियों को रुपये 150/- रात्रि विश्राम भत्ता देय होगा।

अन्य निर्देश एवं शर्तें विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 4078 दिनांक 26.08.2013 के अनुसार यथावत् रहेगी।

(अशोक जैन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.8(2)(8)/निर्वा./2013/8574

जयपुर, दिनांक 13-11-2013

- प्रतिलिपि:- 1. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रधान महालेखाकार, (ऑडिट) राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 101304929/वित्त दिनांक 13.11.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार,
निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर